नागरिक शास्त्र

पाठ 1

DLTTTF

सभी जन एक हैं

भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग-अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम् कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊँचा पर्वत हिमालय है। भारत में एक ओर जहाँ चेरापूँजी और मासिनराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले भाग हैं वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं।

संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान-पान, रहन-सहन, पहनावा, बोली आदि एक दूसरे से भिन्न है। समय-समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत आते रहे और यहाँ स्थायी रूप से बसते गए। इन लोगों के साथ नए धर्म, नए रीति-रिवाज़ तथा नई भाषाएँ आती गईं। इससे भारत की संस्कृति में विविधता आ गई।

अनेक बोलियाँ

हमारे समाज में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ मिल-जुलकर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किमी के बाद बोली, रहन-सहन और रीति-रिवाजों में अन्तर हो जाता है। देश में लगभग 225 भाषाएँ बोली जाती हैं जिनमें 22 भाषाएँ मुख्य हैं, जैसे- हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलगू, तमिल आदि।

हमारे प्रदेश में मुख्यतः हिन्दी भाषा बोली जाती है। यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुन्देलखण्डी आदि आंचलिक बोलियाँ भी बोली जाती हैं। जब हम देश के एक

भाग से दूसरे भाग में आते -जाते हैं तो भाषा की यह विविधता कभी-कभी परेशानी का कारण बन जाती है। दूसरी तरफ इन अलग-अलग भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है।

विविध त्योहार

भारत के त्योहारों में भी विविधता मिली हुई है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग-अलग त्योहारों को मनाते हैं। होली, दीपावली तथा दशहरा हिन्दुओं के प्रमुख त्योहार हैं। ईद मुस्लिमों का, प्रकाश पर्व सिखों का तथा क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयन्ती तथा पारसी नवरोज उत्साह से मनाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग नामों और अलग तरीकों से मनाया जाता है, जैसे- बैसाखी, ओणम तथा मकर संक्रान्ति फसल के पकने तथा काटने के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार हैं।

इनके अलावा राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गाँधी जयन्ती को हम सभी भारतवासी मिल-जुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं।

देश के विविध नृत्य

हमारे देश के अलग-अलग क्षेत्रों की संस्कृति वहाँ के नृत्यों में झलकती है, जैसे- तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी तथा केरल का कथकली। इन नृत्यों की अपनी अलग निर्धारित पोशाकें, शैली तथा मुद्राएँ होती हैं। ये सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं।

पहनावे में विविधता

हमारे देश के विभिन्न भागों में पहनावे की भी विविधता दिखाई देती है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावों का सम्बन्ध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। कश्मीर में पहने जाने वाला 'फिरन' जाड़े से बचाता है। राजस्थान में पहनी जाने वाली बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ वहाँ के गर्म रेगिस्तानी मौसम से बचाती हैं।

विविधता में एकता

क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम जानते हैं ? आइए इस टीम पर एक नजर डालें-

महेन्द्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, आर0 अश्विन, युवराज सिंह, रवीन्द्र जडेजा, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मुहम्मद शमी, अमित मिश्रा।

इस टीम में आपने क्या खास बात देखी ? टीम में अलग-अलग प्रदेशों और धर्मों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। ये सभी खिलाड़ी विभिन्न प्रान्तों एवं धर्मों से सम्बन्ध रखते हैं। ये सभी खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्रों की अलग-अलग बोलियाँ भी बोलते हैं लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते समय ये सभी खिलाड़ी एक सूत्र में बँधकर देश के लिए खेलते हैं। भारत के लिए जीत हासिल करके इसका मस्तक ऊँचा करते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।

आपने अपने बड़ों से आजादी की लड़ाई की कहानी जरूर सुनी होगी। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए देश के कोने-कोने से अलग-अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। इस लड़ाई में सबने अपना योगदान दिया।

आजादी की लड़ाई में महात्मा गाँधी, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा अशफाक उल्ला खाँ के योगदान की जानकारी एकत्र कीजिए। इनके चित्र भी एकत्र करके अपनी कॉपी मे लगाइए।

आपने देखा कि अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनावों आदि के लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। ढेर सारी विविधताओं के होते हुए भी भारत में हमेशा एकता रही है। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग-अलग रंगों और खुशबुओं के फूलों से सजी है।

हमारे समाज में भेद-भाव

रामपुर गाँव में सरजू का परिवार रहता है। उसके दो बच्चे हैं, लड़का किशन और लड़की मीना। किशन विद्यालय जाता है लेकिन सरजू ने मीना को कभी विद्यालय नहीं भेजा। रोज सुबह मीना अपनी माँ के साथ किशन के लिए खाना बनाती है। जब किशन तैयार होकर स्कूल जाने लगता तो मीना माँ से पूछती- माँ मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती हो ? माँ कहती - तू स्कूल जा कर क्या करेगी ? तुझे तो घर का चूल्हा ही फूँकना है।

यह कहानी केवल सरजू के घर की ही नहीं है। हमारे समाज में इसी तरह लड़के और लड़कियों में अनेक प्रकार से भेद-भाव किया जाता है। लड़कियों को कहीं-कहीं तो प्राथमिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जाता है। यदि कोई लड़की खेल-कूद में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे “ये सब लड़कों के काम हैं” कह कर हतोत्साहित किया जाता है। घर के सभी काम जैसे- खाना बनाना, बर्तन और कपड़े धोना, झाड़ू-पोंछा करना आज भी केवल लड़कियों के ही काम माने जाते हैं।

लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज की शक्ति का आधा हिस्सा व्यर्थ कर देते हैं। आज लड़कियाँ हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं। खेलों में पी0टी0 उषा, कर्णम्ृ् मल्लेश्वरी, सानिया मिजर्ृा, झूलन गोस्वामी, एम0एस0 मैरी कॉम और साइना नेहवाल आदि ने भारत का नाम ऊँचा किया है। समाज सेवा में मदर टेरेसा तथा मेधा पाटेकर के नाम उल्लेखनीय हैं।

भारतीय मूल की दो महिलाओं- कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया है।

लिंग के आधार पर होने वाले भेद-भाव के अलावा हमारे समाज में जाति के आधार पर भी भेद-भाव देखने को मिलता है।

क्या आपके पास-पड़ोस में किसी के साथ कोई भेद-भाव होता है ? किसी के साथ भेद-भाव देखकर आप क्या महसूस करते हैं ? इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे?

निम्न समझी जाने वाली जातियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गाँधी, ज्योतिबा फुले एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जैसी महान विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉ0 अम्बेडकर ने अस्पृश्यता या छुआ-छूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छुआ-छूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जाति, लिंग या धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। सभी को सरकारी नौकरियाँ पाने के लिए समान अवसर दिया गया है। वर्षों से भेद-भाव की शिकार जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

हमारे राष्ट्रीय प्रतीक ;व्नत छंजपवदंस ैलउइवसद्ध

हमने देखा कि हमारा देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए है। हमारे देश की एकता और भाई-चारे की पहचान कुछ प्रतीक चिह्नों से भी होती है। ये चिह्न राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं।

आइए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को जानें-

राष्ट्र ध्वज

हमारे देश के ध्वज में तीन रंग क्रमशः केसरिया, सफेद एवं हरा हैं। इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। हर रंग का अपना एक अलग महत्व एवं संदेश होता है। जैसे- सबसे ऊपर का केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, बीच का सफेद रंग शान्ति का और नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली दर्शाता है। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है तथा इसमें कुल 24 तीलियाँ होती हैं। ध्वज की लम्बाई तथा चौड़ाई में 3: 2 का अनुपात होता है।

आप भी एक कागज पर राष्ट्र ध्वज बनाकर उसमें रंग भरिए।
राष्ट्र-ध्वज संहिता (राष्ट्र-ध्वज सम्बन्धी नियम)

ध्वज फटा-पुराना या खराब रंगों वाला न हो।

ध्वज में हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहे।

इसे निजी वाहनों पर तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल न करें।

सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लें।

ध्वज फहराते समय झुका न हो।

देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्र-ध्वज आधा झुका दिया जाता है।

राष्ट्रगान
राष्ट्रीय पर्व पर ध्वज फहराने के बाद हम राष्ट्रगान गाते हैं। इसके रचयिता गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है।
राष्ट्रगीत
बंकिम चन्द्र चटर्जी ने ‘वंदे मातरम्’ गीत की रचना की, जिसे ‘जन-गण-मन’ के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता-संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है।
वन्दे मातरम् !मातृ भूमि की वन्दना करता हँू।

सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज-शीतलाम्,स्वच्छ जल से परिपूर्ण, स्वादिष्ट फलों

शस्य श्यामलाम्, मातरम् !से पूर्ण, चंदन जैसी शीतल,

शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम्हरे भरे खेतों वाली माँ। आपकी वन्दना करता हूँ।

फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्श्वेत प्रकाश से परिपूर्ण चाँदनी रातों से प्रफुल्लित,

सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्विकसित फूलों एवं पल्लवों से सुशोभित होती हुई,

सुखदाम्, वरदाम्, मातरम् !सुन्दर, हास्यमयी, मधुर भाषिणी

वन्दे मातरम् !सुख देने वाली, वरदान देने वाली माता की वन्दना करता हूँ। माता की वन्दना करता हूँ।

राष्ट्रीय पशु

भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे 'रॉयल बंगाल टाइगर' कहते हैं।

राष्ट्रीय पक्षी

भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस रंग-बिरंगे पक्षी की गर्दन लम्बी होती है तथा सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है तथा पूँछ लम्बी और चमकीले हरे पंखों की बनी होती है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मादा मोर का रंग भूरा होता है। वह नर मोर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूँछ बड़ी नहीं होती है।

राष्ट्रीय पुष्प

भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है।

राज चिह्न

भारत का राज चिह्न सारनाथ में स्थित "अशोक स्तम्भ" से लिया गया है। राज चिह्न में चार सिंह हैं। प्रत्येक सिंह का मुँह पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है इस चक्र के दाईं ओर एक सांड़ और बाईं ओर एक घोड़ा है इस स्तम्भ में नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' लिखा है, जिसका अर्थ है- 'सत्य की ही विजय होती है'।

अभ्यास

1. उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए।

2. अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं दो के बारे में लिखिए।

3. आपके विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है ? आप इन पर्वों में अपनी सहभागिता कैसे करते हैं ?

4. विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।

5. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

राष्ट्रगान ....

राष्ट्रीय पशु
....

राष्ट्रीय पक्षी
....

राष्ट्र ध्वज
....

राष्ट्रीय पुष्प
....

6. सुमेलित कीजिए-

मदर टेरेसा अन्तरिक्ष यात्री

सचिन तेन्दुलकर क्रान्तिकारी

कल्पना चावला समाज सेवा

बंकिम चन्द्र चटर्जी क्रिकेट

अशफ़ाक उल्ला खाँ वन्दे मातरम्

7. निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिह्न लगाइए-

(क) नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। ( )

(ख) विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ( )

(ग) भारत का राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" है। ( )

(घ) चेरापूँजी तथा मॉसिनरम में सबसे कम वर्षा होती है। ( )

(ङ) राज चिह्न के नीचे "सत्यमेव जयते" लिखा है। ( )

प्रोजेक्ट वर्क-

भारत के मानचित्र में निम्नलिखित प्रदेशों को अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित कीजिए-

(क) जिस प्रदेश में चेरापूँजी तथा मॉसिनरम स्थित हैं।

(ख) जिस प्रदेश का प्रमुख नृत्य कत्थक है।

(ग) जिस प्रदेश में जाड़े में "फिरन" पहना जाता है।

(घ) जिस प्रदेश की मुख्य भाषा मराठी है।

(ङ) जिस प्रदेश में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था।

चर्चा करें-

शिक्षक बच्चों से चर्चा करें कि पास-पड़ोस में होने वाली घरेलू हिंसा (महिला उत्पीड़न) को कैसे रोका जाए।

बालिका सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करें।

पाठ 2

ग्रामीण रहन-सहन एवं स्थानीय स्वशासन

लालगंज गाँव में बहुत चहल-पहल है। वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय खुल गया है। गाँव के लोग अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए बड़े उत्साह से विद्यालय जा रहे हैं। इसके पहले उस गाँव में कोई विद्यालय नहीं था। पढ़ने के लिए बच्चों को अपने गाँव से काफी दूर के विद्यालय जाना पड़ता था। कालू और रफीक अपनी बिटिया का प्राथमिक विद्यालय लालगंज में नाम लिखवाकर लौट रहे थे, रास्ते में ही उन्हें गीता मिली जो कि अपने बेटे के साथ खेत में काम करने जा रही थी। कालू ने पूछा- गीता बहन, तुम अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय क्यों नहीं गई ? गीता ने कहा- कालू भैया, मेरा बेटा तो मेरे साथ मजदूरी करने जाता है। रफीक ने कहा- गीता बहन ! हम लोग तो अनपढ़ रह गए लेकिन अब गाँव में विद्यालय खुल जाने से हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कालू- हाँ, गीता बहन ! बच्चा पढ़ लिखकर लेन-देन का हिसाब समझ सकता है। चिट्ठी-पत्री पढ़ सकता है।

क्या आपके पास-पड़ोस में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते ? पता कीजिए कि वे पढ़ने क्यों नहीं जाते ? उनके माता-पिता क्या काम करते हैं ?

मनुष्य समुदाय में रहता है। कई परिवारों को मिलाकर समुदाय बनता है। यह समुदाय चाहे गाँव का हो या नगर का। गाँवों में नगरों की अपेक्षा निरक्षरता एवं गरीबी ज्यादा है जिसका असर उनके रहन-सहन, वेश-भूषा और खान-पान पर पड़ता है।

आपके परिवार के लोग या रिश्तेदार किसी न किसी कार्य के लिए गाँव से नगर या नगर से गाँव आते जाते ही होंगे। उनसे पूछिए कि गाँव तथा नगरवासियों के रीति-रिवाजों, मनोरंजन के तरीकों, काम-धन्धों, यातायात के साधनों, त्योहार मनाने के ढंग में क्या अन्तर है ? और क्यों?

क्या आपकी कक्षा में ऐसे भी सहपाठी हैं, जिन्होंने गाँव और नगर दोनों देखे हों ?

आइए ! गाँव की चर्चा करें

रहन-सहन

अपने देश भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। इनका मुख्य कार्य खेती, पशु-पालन व छोटे-छोटे काम-धन्धे करना है। गाँव के लोग ज्यादातर खेती करते हैं। अपने प्रदेश में किसान वर्ष में मुख्यतः दो फसलें उगाते हैं- रबी और खरीफ। इन फसलों की उपज बेचकर किसान अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। उनके कृषि का आधार सिंचाई है जो मुख्यतः वर्षा द्वारा एकत्र जल तथा नलकूपों, नहरों इत्यादि द्वारा की जाती है।

विचार करिए-

बाढ़ से यदि फसल नष्ट हो जाए अथवा सूखा से पैदावार बिल्कुल न हो तो उसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा ?

क्या इससे नगरवासी भी प्रभावित होंगे ?

गाँवों में खेती के अलावा काम-धन्धों के अवसर भी कम होते हैं। गाँव में सभी के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। ऐसे लोग दूसरांे के खेतों में मजदूरी करते हैं। फसलों की बुआई, निराई और कटाई के समय इन लोगों को खेतों में काम मिल जाता है। जिन दिनों उन्हें गाँव में काम नहीं मिल पाता, वे काम खोजते हुए गाँव से दूर चले जाते हैं।

पता करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए कि-

काम-धन्धे की खोज में गाँव के कुछ लोग कहाँ-कहाँ जाते होंगे ?
....
....
....

खेती से जुड़े हुए किसानों और मजदूरों के अलावा भी गाँव में अन्य कौन-कौन से कामगारों के परिवार रहते हैं ?
....
....
....
....

अब गाँव की स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। खेती में उन्नतशील बीज एवं उत्तम खाद का प्रयोग होने लगा है। खेतों की जुताई के लिए हल-बैल के स्थान पर टै्रक्टर का प्रयोग होने लगा है, गाँव में विद्यालय, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पंचायत घर इत्यादि बन गये हैं।

गाँवों में अन्य कौन-कौन से बदलाव आए हैं ? कक्षा में चर्चा कीजिए-

स्थानीय स्वशासन

गाँवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। गाँवों में इतना परिवर्तन होने के बाद भी बहुत सी ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें दूर करने के लिए गाँव के सभी लोगों को मिल-जुलकर काम करने की जरूरत है। गाँव में कुआँ, तालाब, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैण्डपम्प, नहर, नलकूप आदि सुविधाएँ सभी के काम आती हैं। इन्हीं सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएँ कहते हैं। इन सार्वजनिक सुविधाओं को

उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है।

पंचायत व्यवस्था तीन स्तरों पर कार्य करती है-

1. ग्राम पंचायत2. क्षेत्र पंचायत 3. जिला पंचायत

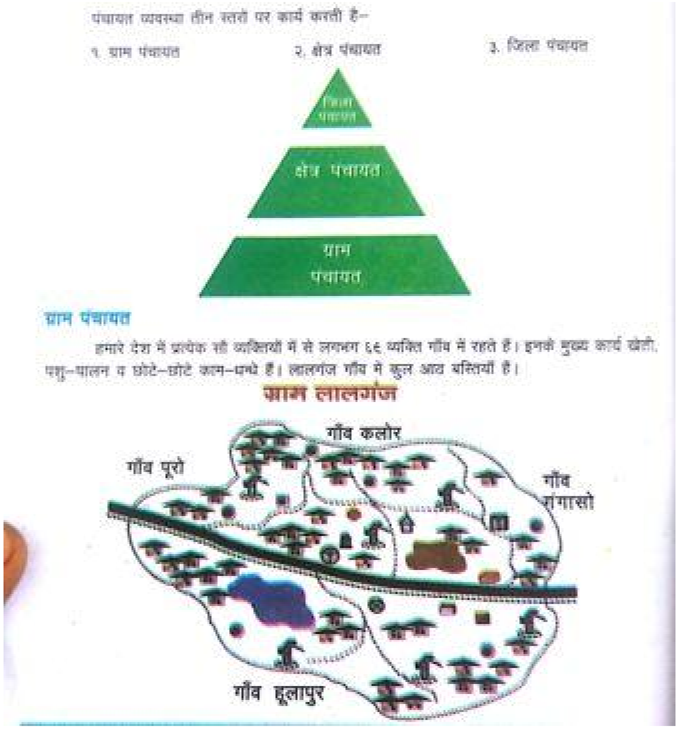

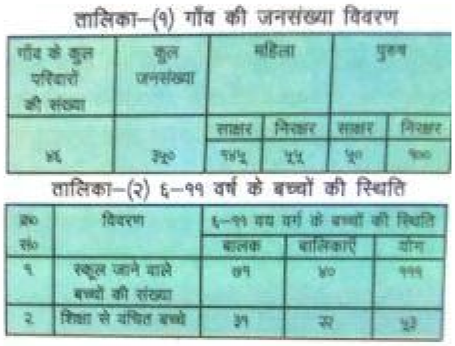

तालिका-(१) गाँव की जनसंख्या विवरण

गाँव के कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या	महिला		पुरुष	
		साक्षर	निरक्षर	साक्षर	निरक्षर
८६	३५०	१४५	५५	५०	१००

तालिका-(२) ६-११ वर्ष के बच्चों की स्थिति

क्र० सं०	विवरण	६-११ वय वर्ग के बच्चों की स्थिति		
		बालक	बालिकाएँ	योग
१	स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या	७१	४०	१११
२	शिक्षा से वंचित बच्चे	३१	२२	५३

तालिका (2) देखकर लिखिए-

1.गाँव में कुल कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं ?..

2.स्कूल न जाने वाले बच्चों में से कितनी लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं ?...................................

3.आपके गाँव के ऐसे परिवार जिनके बच्चे स्कूल न जाते हों, उनके माता-पिता व बच्चों से बातचीत करके निम्नवत् तालिका भरिए-

बच्चे का नाम कारण

4.स्कूल न जाने वाले बच्चों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे छः कार्यक्रमों के नाम पूछिए-

(क)................................(ख)................................
(ग)................................
(घ)................................(ङ)................................
(च)................................

5.अब तुलना कीजिए कि आपको कितने कार्यक्रमों की जानकारी है, सूची बनाइए-

कार्यक्रम के नाम

- किन कार्यक्रमों की जानकारी नारा लेखन से हुई ?..
- किन कार्यक्रमों से आपको लाभ हुआ ? ....
- किन कार्यक्रमों से आपके पड़ोसी को लाभ हुआ ? ....
- किन कार्यक्रमों की जानकारी ग्राम सभा की बैठक से हुई ?..
- किन कार्यक्रमों की जानकारी अन्य माध्यमों से हुई ?..

लालगंज की एक बस्ती (टोला) में रहने वाले लोगों के घरों का गन्दा पानी बहकर सड़क पर जमा हो जाता है क्योंकि नाली में लोग घरों का कूड़ा डालते हैं जिसके कारण वहाँ हमेशा कीचड़ बना रहता है। इस बस्ती का हैण्डपम्प जो कुछ ही महीने पहले लगा था उसका हैण्डल किसी ने उखाड़ लिया है। इस बस्ती के स्कूल की खिड़की के पल्ले लोग उखाड़ ले गए और कमरों में अनाज रखते हैं। क्या ऐसा करना उचित है ?

सड़क पर तो सब लोग चलते हैं, हैण्डपम्प का पानी भी सब लोग पीते हैं तथा गाँव वालों के ही बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं ? चर्चा करें ?

कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गाँवों की आबादी 1000 से कम है वहाँ पास के अन्य छोटे-छोटे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है यानि एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गाँवों के लिए काम करती है।

ग्राम पंचायत समिति

कंचन और उसका भाई विपिन रोज शाम को बाग में अपने बाबाजी के साथ टहलने जाते हैं। एक दिन बाबाजी ने कहा- "कंचन, आज मैं शाम को बाग में टहलने नहीं जाऊँगा क्योंकि आज मुझे ग्राम पंचायत समिति की बैठक में जाना है।"

कंचन-"ग्राम पंचायत समिति क्या है ? क्या यह आपका दफ्तर है" ?

बाबा-नहीं, यह दफ्तर नहीं है। मैं वहाँ नौकरी नहीं करता। मैं गाँव में रहने वाले लोगों के द्वारा पंचायत समिति का सदस्य चुना गया हूँ।

कंचन-ग्राम पंचायत समिति के सदस्य कौन हो सकते हैं ?

बाबा-"ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गाँव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की हो। वह पागल या दिवालिया न हो। वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा न पाया हो। इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री-पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 09 से 15 तक हो सकती है। यह संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है।

ये सदस्य ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले गाँवों से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना आवश्यक है।

ग्राम प्रधान

बाबाजी ने विपिन को समझाते हुए बताया कि जैसे तुम्हारी कक्षा का मॉनीटर कक्षा के बच्चों के द्वारा चुना जाता है, वैसे ही ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा उस गाँव के निवासियों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गाँव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और गाँव की जनता की सुख-सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो वह पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है।

ग्राम पंचायत का महत्व

गाँव से सम्बन्धित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गाँव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम सभा में ही सुलझा लेते हैं जिससे उनके समय, सम्पत्ति और संसाधनों की बचत होती है।

इन्हें भी जानें

ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। विद्यालय के रख-रखाव, निःशुल्क बालिका डे्रस वितरण, छात्रवृत्ति-वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक-वितरण तथा विद्यालय में दोपहर के भोजन (मिड डे मील) की व्यवस्था उसकी देख-रेख में होती है।

चर्चा बिन्दु

1.आपके गाँव में प्रधान महिला है या पुरुष ?

2.उन्हें प्रधान कब चुना गया ?

3.प्रधान पद के अन्य उम्मीदवार कौन-कौन थे ?

4.आपके घर में किसने-किसने वोट दिया था ?

5.ग्राम प्रधान ने गाँव में क्या- क्या काम कराए हैं ?

ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत समिति का हिसाब-किताब तथा किए गए कार्य का ब्यौरा रखता है। पंचायत की बैठकें कराता है, सरकारी

योजनाओं के विषय में गाँव वालों को जानकारी देता है, और बैठक का विवरण लिखता है।

"पैसा कहाँ से प्राप्त होता है ?" विपिन ने कहा

बाबा-विपिन बेटा ! सरकार द्वारा बहुत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा हाट, दुकान, मकान, जमीन आदि पर कर (टैक्स) वसूला जाता है। कुछ सार्वजनिक भूमि पट्टे पर दी जाती है। इन्हीं साधनों से इकट्ठा किए गए धन का उपयोग गाँव के विकास के लिए किया जाता है।

जनता द्वारा

निर्वाचित

प्रतिनिधि

ग्राम प्रधान

उप प्रधान

ग्राम पंचायत

समिति के सदस्य

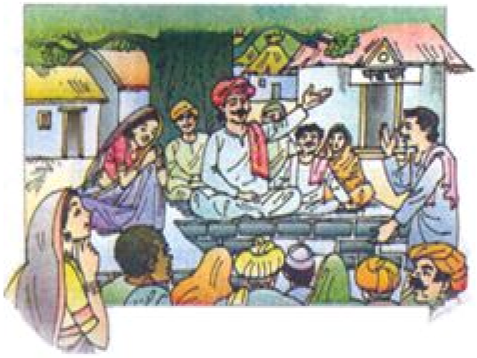

ग्राम पंचायत

सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी

ग्राम पंचायत अधिकारी (सेक्रेटरी)

ग्राम विकास अधिकारी

लेखपाल

बेसिक स्वास्थ्य कार्यकत्री

नलकूप चालक

प्रधानाध्यापक

शिक्षक

ग्राम पंचायत

विपिन-बाबा जी ! आपने यह नहीं बताया कि ग्राम पंचायत का क्या कार्य है?

पंचायत के कार्य

बाबा-पंचायत की जिम्मेदारी गाँव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गाँव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गाँव की गलियों में खड़न्जा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। यह जरूरतमन्दों को चिह्नित करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती है।

गाँव की सार्वजनिक सम्पत्ति का रख-रखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब-किताब रखती है। वर्ष में दो बार ग्राम पंचायत की बैठक होती हैं। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपनी जिम्मेदारी वाले कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) ग्राम पंचायत का चुनाव.................................... वर्षों के लिए होता है।

(ख) पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम........... वर्ष होनी चाहिए।

(ग) ग्राम पंचायत के प्रधान को................................ कहते हैं।

(घ) पंचायत की जिम्मेदारी गाँव की दशा......................... की होती है।

(ङ) पंचायत को सरकार द्वारा......................... मिलता है।

2. दिए गए कथनों में जो सही हों उनके आगे सही (ü) और जो कथन गलत हों उनके आगे गलत (ग) का चिह्न लगाइए-

(क) पंचायत समिति का कार्य गाँव में रोशनी का प्रबंध करना है। ( )

(ख) हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती है। ( )

(ग) पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। ( )

(घ) मेला, दुकान, मकान आदि पर लगे कर द्वारा ग्राम पंचायत की आय होती है। ( )

3. मिलान कीजिए-

(क)	(ख)
बढ़ई	मिट्टी के बर्तन बनाना
शिक्षक	इलाज करना
डॉक्ट	शिक्षण कार्य
राजगीर	लकड़ी का सामान बनाना
कुम्हार	घर बनाना

4. ध्यान से पढ़िए और बताइए-

(क) ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए ?

(ख) अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए।

(ग) आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं ?

(घ) ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए ।

(ङ) अपने गाँव में चल रही किसी सरकारी योजना का नाम व उसके कार्य लिखिए।

(छ) यदि आपके गाँव में पंचायत न होती तो क्या कठिनाई होती ?

5. ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते ?

समूह गतिविधि

विद्यालय में बाल सरकार का गठन करवाएँ। चुनाव की प्रक्रिया ग्राम प्रधान के चुनाव जैसी हो।

प्रोजेक्ट वर्क

अपने गाँव के सुधार के लिए आप अपने ग्राम प्रधान से क्या-क्या कार्य करवाना चाहते हैं, इसके लिए सूची बनाकर अपने शिक्षक/शिक्षिका के साथ ग्राम प्रधान से सम्पर्क कीजिए।

पाठ 3

DHCKMQ

क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत

क्षेत्र पंचायत

कई गाँवों को मिलाकर एक विकासखण्ड बनता है। इसे विकास क्षेत्र (ब्लॉक) भी कहते हैं। नीचे माधोपुर विकासखण्ड का मानचित्र दिया गया है। बताइये, इसमें कितने गाँवों के इलाके शामिल हैं ? \

माधोपुर विकासखण्ड के सभी गाँवों में पिछले कई वर्षों से खूब काम हो रहे हैं। किसी गाँव में नया स्कूल बन रहा है तो कहीं कुआँ खुदवाया जा रहा है, पानी की लाइन बिछाई जा रही है तो कहीं गाँव की फसल जमा करने के लिए गोदाम बन रहा है। ऐसे सभी कार्यों की देख-रेख के लिए माधोपुर विकास क्षेत्र के सभी गाँवों ने मिलकर अपनी क्षेत्र पंचायत बनाई है। माधोपुर कस्बे के बीचों-बीच इसका कार्यालय है। कार्यालय के बाहर एक बड़े से बोर्ड पर लिखा है ''क्षेत्र पंचायत माधोपुर"। लोग इसे 'ब्लॉक आफिस' या 'ब्लॉक का दफ्तर' भी कहते हैं। इस कार्यालय में क्षेत्र पंचायत माधोपुर के सभी सदस्य आकर बैठते और बातचीत करते हैं।

कैसे बनी क्षेत्र पंचायत

पिछले साल माधोपुर विकासखण्ड के हर गाँव में प्रधान का चुनाव हुआ। 18 साल व उससे ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति ने वोट दिया। हर गाँव में एक प्रधान तो चुना ही गया, क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य भी चुने गए। बधनी गाँव से दो, मनकापुर से चार व रोहितपुर से तीन क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लोग बी0डी0सी0 मेम्बर भी कहते हैं।

कुछ गाँवों से केवल महिलाएँ ही पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकती हैं। इन्हें 'महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें' कहा जाता है।

माधोपुर विकासखण्ड के सभी गाँवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर 'क्षेत्र पंचायत माधोपुर' बनी है।

इस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी माधोपुर क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं।

क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच में से एक ‘पंचायत-प्रमुख’ चुना है। इनका नाम शान्ति देवी है। शान्ति देवी पंचायत की बैठकों में सभा का संचालन करती हैं। उन्हें लोग ‘ब्लॉक प्रमुख’ भी कहते हैं।

सभी पंचायत सदस्यों ने आपस में विचार-विमर्श करके एक उपप्रमुख व एक कनिष्ठ उपप्रमुख भी चुना है।

मुन्ना खाँ उपप्रमुख व बैंजामिन कनिष्ठ उपप्रमुख हैं।

मुन्ना खाँ और बैंजामिन को लोग ”छोटका प्रमुख जी“ कहकर पुकारते हैं।

क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में कोई भी 21 साल से कम नहीं है, क्योंकि इससे कम उम्र का व्यक्ति पंचायत सदस्य नहीं बन सकता।

छोटी-छोटी समितियाँ

माधोपुर क्षेत्र पंचायत ने विकासखण्ड के गाँवों में हो रहे कार्यों की देख-रेख के लिए कई समितियाँ बना लीं हैं। जैसे-

(अ)क्षेत्र की निर्माण समिति- क्षेत्र के गाँवों में बन रही इमारतों पर नजर रखती है। उसके रख-रखाव का ध्यान रखती है।

(ब)क्षेत्र की जल समिति- सभी गाँवों में पानी का बन्दोबस्त देखती है। यदि किसी गाँव में पीने का पानी नहीं मिल रहा हो तो वहाँ हैण्डपम्प लगाने या पानी की लाइन बिछाने के लिये क्षेत्र पंचायत को राय देती है।

(स)क्षेत्र की शिक्षा समिति- स्कूलों में जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेती है।

इसी प्रकार क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम व लोगों के स्वास्थ्य की देख-भाल के लिये ‘क्षेत्र स्वास्थ्य रक्षा समिति’ बनाई गई है।

हर एक समिति में सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक होती है।

अपने क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत बनी समितियों के नाम लिखिए।

क्षेत्र पंचायत के काम

माधोपुर क्षेत्र पंचायत ने पिछले साल अपने ब्लॉक (क्षेत्र) में निम्नलिखित काम करवाए-

कंजाराह गाँव में एक खाद व बीज केन्द्र खुलवाया। यहाँ से गाँवों के किसान सस्ते दामों पर नये बीज और खाद ले जाते हैं।

सिकरा गाँव से कंजाराह तक 2 कि.मी. पक्की सड़क बनवाई। जिसकी लागत लगभग 15 लाख आई।

क्षेत्र पंचायत ने विकास खण्ड के सभी ऐसे गाँवों में जहाँ पशु अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल नहीं थे, बनवाने का निर्णय लिया।

क्षेत्र के सभी गाँवों के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

बच्चों ! आपकी क्षेत्र पंचायत क्या-क्या कार्य करती है, लिखिए।

पंचायत ने ठेकेदार से दुबारा पुलिया बनवाई

जुलाई का महीना था। रविवार का दिन। तेज वर्षा हो रही थी। अचानक जगदीशपुर गाँव की पुलिया का एक हिस्सा टूट कर गिर पड़ा। उस दिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

अगले दिन सुबह गाँव के सब लोग पुलिया पर जमा हो गए। सब लोग आपस में बातें करने लगे। ''आखिर पुलिया क्यों टूट गई ? इसी गर्मी में तो ठेकेदार ने उसे बनवाया था।'' ठेकेदार दूसरे गाँव कंजाराह का था। जगदीशपुर के प्रधान ने उसे बुलवाया, वह नहीं आया। अब गाँव के लोग जुलूस बनाकर क्षेत्र पंचायत के दफ्तर पहुँचे। सभी ने प्रमुख घनश्याम सिंह से शिकायत की। घनश्याम सिंह ने निर्माण समिति के सदस्यों से कहा कि जाकर पुलिया देख आएँ। निर्माण समिति के लोगों ने जाकर टूटी हुई पुलिया देखी। पता लगा कि टूटे हुए हिस्से में सीमेन्ट और लोहा (सरिया) बहुत कम लगाया गया है। इसी कारण पुलिया टूटी।

क्षेत्र प्रमुख घनश्याम सिंह ने कंजाराह की ग्राम पंचायत से कहा कि वह गाँव के ठेकेदार को पंचायत में बुलाएँ। अब ठेकेदार को क्षेत्र-पंचायत के दफ्तर में आना पड़ा। पंचायत सदस्यों ने उससे जमकर पूछताछ की। उसे कड़ी फटकार भी लगाई। कुछ लोगों ने राय दी कि ठेकेदार के खिलाफ थाने में शिकायत (रिपोर्ट) लिखवाओ। ठेकेदार डरकर माफी माँगने लगा। उसने माना कि जो पुलिया टूटी है उसमें सीमेन्ट और सरिया बहुत कम लगाई गयी है। तब पंचायत ने तय किया कि ठेकेदार दुबारा अपने रुपयों से पुलिया बनवाए, वरना मामला पुलिस को दे दिया जाएगा।

ठेकेदार मान गया और उसने दुबारा मजबूत और पक्की पुलिया बनवाई।

क्षेत्र पंचायत की आमदनी

क्षेत्र पंचायत माधोपुर को अपने कामों के लिए धन कहाँ से मिलता है ?

करों से आया हुआ और सरकार से मिला धन बैंक में क्षेत्र पंचायत के खाते में जमा कर दिया जाता है।

पाँच साल काम करेगी पंचायत

क्षेत्र पंचायत की प्रमुख शान्तिदेवी सभी सदस्यों से कहती हैं कि 'उन' सबको पाँच साल के लिए चुना गया है। यदि वे अपने क्षेत्र के गाँवों के लिये ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें अगले पंचायत चुनाव में वोट नहीं देंगे।

माधोपुर क्षेत्र पंचायत का काम पूरा करने के लिये सरकार ने पंचायत के दफ्तर में कुछ कर्मचारी व अधिकारी रखे हैं इनमें सबसे बड़े अधिकारी को लोग खण्ड विकास अधिकारी या बी0डी0ओ0 भी कहते हैं। रामराज सिंह माधोपुर के खण्ड विकास अधिकारी हैं। वे क्षेत्र प्रमुख के सचिव के रूप में काम करते हैं।

उत्तर प्रदेश में माधोपुर की तरह सैकड़ों क्षेत्र पंचायतें हैं। सभी का गठन माधोपुर क्षेत्र पंचायत की तरह होता है। ये सभी पंचायतें लगभग माधोपुर की तरह काम भी करती हैं। कई विकासखण्डों में क्षेत्र प्रमुख के पद महिलाओं, अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षित रहते हैं।

जिला पंचायत

विकेन्द्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिस तरह हर गाँव में ग्राम पंचायत व हर विकासखण्ड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले (जनपद) में जिला पंचायत काम करती है। जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है।

जिला पंचायत के सदस्य

- क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं।

- जिले के सांसद व विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं।

जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं।

जिले का मुख्य विकास अधिकारी (सी0डी0ओ0) जिला पंचायत का सचिव होता है।

चुनाव की प्रक्रिया

जिला पंचायत के सदस्य भी पाँच साल के लिये चुने जाते हैं।

21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता।

कुछ जिला पंचायतों में अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए ही छोड़ा गया है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। इन पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते। जिला पंचायत की एक बैठक तीन महीने में जरूर होनी चाहिए, ऐसा नियम है।

जिला पंचायत के कार्य

विकासखण्ड का काम-काज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी-छोटी समितियाँ बनाती है। जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशु-पालन समिति, भूमि विकास समिति आदि।

ये समितियाँ जिले के पशु-पालन, सिंचाई, खेती व जमीनों की देख-भाल का काम करती हैं।

क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण (देख-रेख) भी करती है।

तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था में हमने देखा कि ग्राम, विकासखण्ड व जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था कायम है। तीनों स्तरों पर प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया, आय के स्रोत एवं कार्य लगभग एक जैसे ही हैं।

आमदनी

जिला पंचायत जिले की जमीनों पर कर लगाती है। मेलों तथा बाजारों में दुकानों का लाइसेंस देकर फीस वसूलती है, इसके अलावा उसे सरकार से भी धन मिलता है।

इनमें अंतर मुख्यतः भौगोलिक क्षेत्रफल, प्राप्त धनराशि का योग, कार्यों का मूल्य व समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में है। सबसे छोटे क्षेत्र व छोटी समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत भी है और अधिक जटिल समस्याओं के लिए जिला पंचायत।

इस पूरी व्यवस्था को हम विकेन्द्रीकृत पंचायती राज कहते हैं।

अभ्यास

1. दिए गए कथनों में जो सही हों उनके आगे सही और जो कथन गलत हों उनके आगे गलत का चिह्न लगाइए-

स एक ग्राम सभा के लिए एक क्षेत्र पंचायत बनाई जाती है। ( ) स सांसद और विधायक क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। ( )

स क्षेत्र पंचायत का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। ( )

स क्षेत्र पंचायतों के सदस्य मिलकर अपना एक ग्राम प्रधान चुनते हैं। ( )

2. अपने मित्रों और शिक्षक से बातचीत करके उत्तर दीजिए-

स अपने आस-पास की पाँच ग्राम सभाओं के नाम लिखिए।

स अपने पड़ोस के दो विकासखण्ड या क्षेत्र पंचायतों के नाम लिखिए।

आपके विकासखण्ड या क्षेत्र पंचायत का दफ्तर/आॅफिस कहाँ पर है ? उस स्थान का नाम लिखिए।

3. अपने शिक्षक से यह पूछिए या इस पर चर्चा कीजिए कि महिलाओं, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है ?

प्रोजेक्ट वर्क

स यदि आपके गाँव में क्षेत्र पंचायत ने कोई कार्य कराया है तो उसका पता लगाइए और उस काम के बारे में कुछ बातें लिखिए।

स क्षेत्र स्वास्थ्य रक्षा समिति आपके स्वास्थ्य के लिए क्या-क्या करती है, इसकी सूची बनाइए।

पाठ 4

DHLGYD

नगरीय रहन-सहन एवं नगरपालिकाएँ

गर्मी की छुट्टी के बाद जब मीरा अपने गाँव से शहर जाने लगी तो उसका भाई गोकुल भी मीरा के साथ जाने को तैयार हो गया। गोकुल गाँव में ही पढ़ता है। वह पहली बार नगर जा रहा था। उसकी बस ने नगर में प्रवेश किया तो गोकुल आश्चर्यचकित होकर कभी इधर देखता था तो कभी उधर। उसने कहा- दीदी, नगर में इतनी भीड़ और बड़े-बड़े मकान देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है।

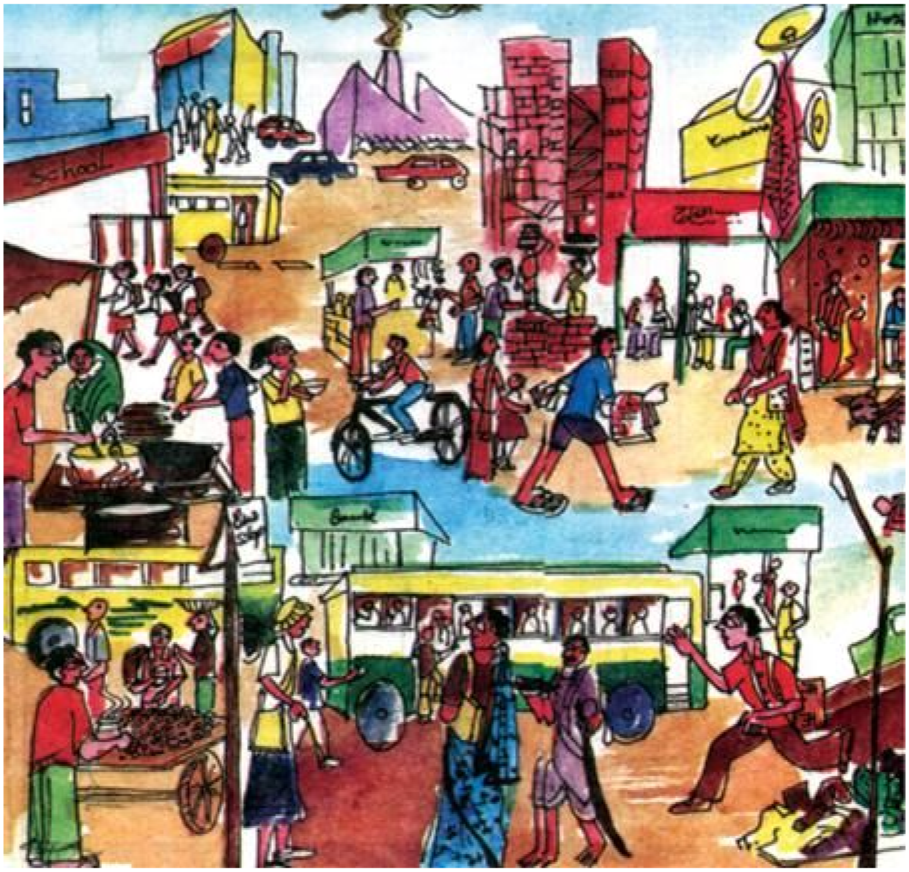

मीरा-अभी तुमने देखा ही क्या है ? यहाँ कई कारखाने हैं और बहुत प्रकार के उद्योग-धन्धे हैं। कुछ लोग तो गाँव से भी यहाँ कार्य करने आते हैं। वे मजदूरी करके मकान एवं सड़कों आदि को बनाने का काम करते हैं।

गोकुल-दीदी, यहाँ तो पैदल चलना भी मुश्किल है-साइकिल, स्कूटर, कारों की भरमार है। सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है। सड़क के किनारे उस नल पर बहुत से आदमी और औरतें अपना बर्तन लिए खड़े हैं। जब इतनी सारी समस्याएँ हैं तो उन्हें दूर करने का काम कौन करता है ?

मीरा-यह काम सभी नगरवासियों को आपसी सहयोग से करना होता है। वे इन समस्याओं पर विचार करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय सोचते हैं। जिस प्रकार गाँवों की भलाई के लिये ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायतें होती हैं उसी प्रकार शहरों की भलाई

के कार्यों के लिए नगरपालिकाएँ गठित की जाती हैं। बहुत छोटे नगरों में नगर पंचायत उससे कुछ बड़े नगरों में नगरपालिका परिषद् तथा बहुत बड़े नगरों में नगर निगम होते हैं। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में हर वार्ड के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसी प्रकार नगर भी कई वार्ड में बाँट दिए जाते हैं तथा हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है।

ऐसे बनी खैरागढ़ नगर पंचायत

यहाँ हम खैरागढ़ की नगर पंचायत के गठन और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत पहले खैरागढ़ एक गाँव ही था और यहाँ ग्राम पंचायत काम करती थी। पर अब यह एक नगर पंचायत बन गई है। जिस समय खैरागढ़ गाँव को नगर पंचायत बनाया गया उसकी आबादी 10 हजार थी। यह सरकारी नियम है कि जिस शहर या कस्बे की आबादी 5 हजार से एक लाख के बीच होती है वहाँ नगर पंचायत बन सकती है इसलिये खैरागढ़ को नगर पंचायत का दर्जा मिला।

यह समझ लीजिए कि नगर पंचायत शहर की पंचायत जैसी ही है। चूँकि शहर या कस्बे में गाँव से बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं, इस कारण नगर पंचायत के सदस्य भी अधिक होते हैं। इन सदस्यों की संख्या और अधिकारों में अन्तर होता है।

- पाँच हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगर पंचायत बनती है। एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक होती है।
- एक लाख से पाँच लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगरपालिका परिषद् बनती है। नगरपालिका परिषद् में सदस्यों की संख्या 25 से 55 तक होती है।
- 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। नगर निगम में सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक होती है।

लोगों की समस्याएँ

रिक्शे से घर जाते समय गोकुल बड़ी उत्सुकता से आस-पास देख रहा था। शहर में डामर की पक्की सड़कें थीं, गाँव की धूल भरी सड़कों से काफी अलग। लेकिन सड़क पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे भी थे। रिक्शा गड्ढे में फँस गया। "धीरे चलना भैया" गोकुल ने रिक्शे

वाले से कहा, "तुम्हारे शहर की सड़कें तो बहुत खराब हैं। कई जगह मोहल्ले के लोग, नल में पानी न आने के कारण परेशान लग रहे थे। उन्हें देखकर गोकुल ने पूछा-नगरपालिका पानी की व्यवस्था को सुधारती क्यों नहीं ?

रिक्शेवाला-"क्या करें भैया ? पहले जो नगर पालिका परिषद् के सदस्य थे, उन्होंने कई काम किए- एक पार्क बनवाया, कई पक्की दुकानें भी बनवाई, पर न तो ये सड़कें ठीक करवाई, न पानी की समस्या पर कुछ ध्यान दिया। रात के समय इन सड़कों पर अंधेरा होता है क्योंकि स्ट्रीट-लाइटों को खराब होने पर बदला नहीं जाता है। पार्क की चहारदीवारी एक तरफ टूट गई है जिसकी मरम्मत काफी दिनों से नहीं हुई है। कूड़ा-कचरा इधर-उधर फैला रहता है। समझ में नहीं आता कि किससे शिकायत करें ?

क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले एवं गली में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है ? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार सफाई की जाती है एवं कूड़ा उठाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? चर्चा कीजिए-

समस्याएँ किससे कहें ? कैसे सुलझाएँ ?

मीरा के मोहल्ले में गंगाताई रहती थीं। गंगाताई के मोहल्ले तथा आसपास के कई मोहल्ले के लोग मिलकर नगरपालिका अध्यक्ष के पास गए। गंगाताई ने कहा, "हम रोज-रोज पानी की किल्लत से ऊब गए हैं। हमें पता है कि यहाँ के पम्प बदलवाने की जरूरत है। हम सरकार को इसके लिए अर्जी देने आए हैं। इस अर्जी पर 500 लोगों के हस्ताक्षर हैं। आप जब सरकार को अनुदान के लिए लिखें तो हमारी अर्जी भी साथ भेज दें। कम से कम उन्हें पता तो चले कि यहाँ के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। अगर अनुदान की अर्जी की एक प्रति हमें मिल सकती है तो हम जिला अधिकारी (डी0एम) और विधायक से भी मिलने की कोशिश करेंगे।

कुछ जगहों की नगरपालिका परिषद् या नगर निगम के विरुद्ध इस शहर के लोग शिकायत करते हैं। शिकायत काम न करने के बारे में हो सकती है या पैसों के दुरुपयोग के बारे में। राज्य की सरकार इन शिकायतों के बारे में जाँच करती है। यदि जाँच में शिकायत सही निकली तो राज्य सरकार उस नगर पालिका परिषद् या नगर निगम को भंग कर सकती है।

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के नियम

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के कुछ नियम कानून हैं। ये नियम कानून राज्य की सरकार बनाती है।

- नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है।

- शहर में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् व नगर निगम के सदस्यों के चुनाव में वोट डाल सकते हैं।

- शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् या नगर निगम का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है।

- प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम में कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं।

- नगरपालिका परिषद् का एक अध्यक्ष होता है। वह उसका सदस्य होता है।वह जनता द्वारा चुना जाता है। इसके कुछ पद आरक्षित होते हैं।

- नगर निगम का भी एक अध्यक्ष होता है जो महापौर या मेयर कहलाता है। महापौर जनता द्वारा चुना जाता है।

- हर नगरपालिका परिषद् का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है और हर नगर निगम का एक आयुक्त। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे ही नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के कार्यों की देख-रेख करते हैं और लेखा-जोखा रखते हैं।

- यदि किसी वजह से नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम भंग कर दी जाए तो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक उसका काम सँभालता है।

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के मुख्य कार्य

क्षेत्र पंचायत की तरह नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम भी अपनी समितियाँ बनाते हैं। ये समितियाँ अलग-अलग कार्य करती हैं जैसे- पानी की व्यवस्था समिति, सफाई- व्यवस्था समिति, स्वास्थ्य समिति आदि। वार्ड मेम्बर (सदस्य) इन समितियों के सदस्य होते हैं। ये समितियाँ ही इन संस्थाओं के कार्यों के बारे में निर्णय लेती हैं।

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं-

- सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी (लाइट) की व्यवस्था करना।
- शहर की साफ-सफाई करवाना, कचरा उठवाना।
- बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना।
- कांजी हाउस, आवारा मवेशियों की देख-रेख का प्रबंध करना।
- शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा-जोखा रखना।
- जब शहर में कोई भी बीमारी फैलती है, तो उसे फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण, पानी की सफाई आदि का काम कराना।

पुस्तकालय, पाठशाला, बाग, पार्क, बगीचे आदि बनवाना।

चर्चा कीजिए कि नगरों में पार्क होना क्यों आवश्यक है ?

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम की आय के साधन

1.शहर में जिनके निज़ी मकान या ज़मीन हैं, उन्हें मकान या ज़मीन पर कर (टैक्स) देना पड़ता है। यह कर उस शहर की नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम इकट्ठा करती है।

2.पानी, सड़कों की बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स या कर वसूल किया जाता है।

3.शहर में जो दुकान लगाता है, उसे अपनी दुकानदारी के लिये टैक्स भरना पड़ता है।

4.शहर में चलने वाली सवारी गाड़ियाँ, जिनमें लोग पैसे देकर सफर करते हैं, जैसे- बस, टैम्पो, जीप उनसे यात्री-कर वसूल किया जाता है। यह कर उस शहर से जाने पर या उस शहर तक सफर करने वाले हर यात्री से लिया जाता है।

5.ये संस्थाएँ इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती हैं, जैसे- फिल्म, प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर।

6.इन संस्थाओं को सरकार से अनुदान भी मिलता है।

. शब्दावली

वार्ड -नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् अथवा नगर निगम के सदस्यों के चुनाव के लिए नगर क्षेत्र को खण्डों या भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इस खण्ड या भाग को वार्ड कहते हैं।

अभ्यास

1.आपने नगर पंचायत और नगरपालिका परिषद् के बारे में पढ़ा है। दोनों की तुलना करते हुए तालिका को पूरा कीजिए:-

नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद् के नियम

नगर पंचायत नगर पालिका परिषद्

1. पाँच साल के लिए बनाई जाती है। ....

2. उस शहर में रहने वाले व्यक्ति वोट दे सकते हैं। ....

3. अट््ठारह या उससे अधिक उम्र वाला व्यक्ति वोट दे सकता है।

....

4. हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। ....

5. अध्यक्ष प्रमुख होता है। ....

6. अध्यक्ष नगर की जनता द्वारा चुना जाता है। ....

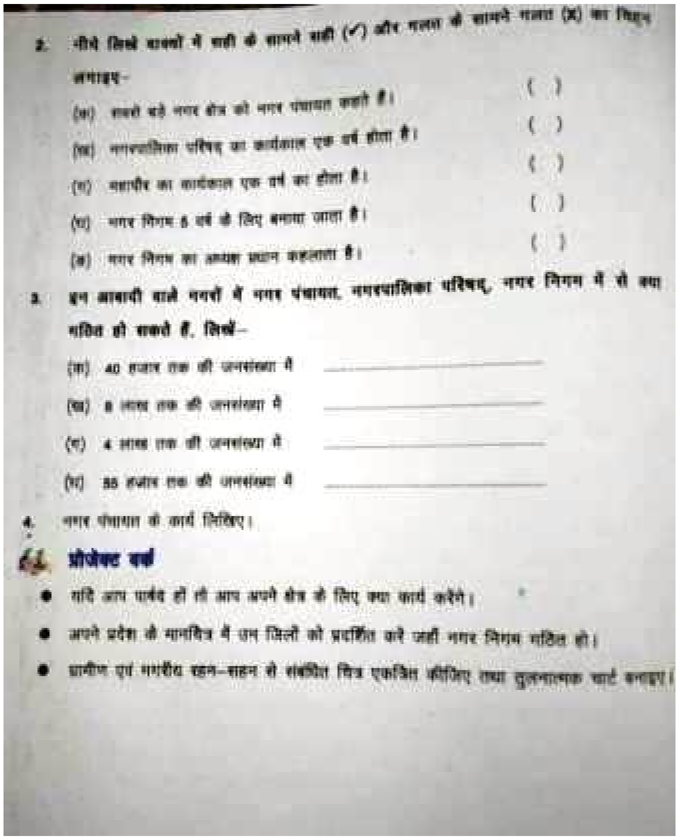

2. नीचे लिखे वाक्यों में सही के सामने सही (✓) और गलत के सामने गलत (✗) का चिह्न लगाइए-

(क) सबसे बड़े नगर क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं। ( )

(ख) नगरपालिका परिषद् का कार्यकाल एक वर्ष होता है। ( )

(ग) महापौर का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। ( )

(घ) नगर निगम 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ( )

(ङ) नगर निगम का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है। ( )

3. इन आबादी वाले नगरों में नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, नगर निगम में से क्या गठित हो सकते हैं, लिखें-

(क) 40 हजार तक की जनसंख्या में ____________

(ख) 8 लाख तक की जनसंख्या में ____________

(ग) 4 लाख तक की जनसंख्या में ____________

(घ) 55 हजार तक की जनसंख्या में ____________

4. नगर पंचायत के कार्य लिखिए।

प्रोजेक्ट वर्क

- यदि आप पार्षद हों तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करेंगे।
- अपने प्रदेश के मानचित्र में उन जिलों को प्रदर्शित करें जहाँ नगर निगम गठित हों।
- ग्रामीण एवं नगरीय रहन-सहन से संबंधित चित्र एकत्रित कीजिए तथा तुलनात्मक चार्ट बनाइए।

पाठ 5

DMVD11

जिले का प्रशासन

हमारा प्रदेश एक बड़ा राज्य है। पूरे राज्य का शासन एक स्थान से चलाने में कठिनाई आती है। अतः शासन की सुविधा के लिए इसे कई जिलों में बाँट दिया गया है। प्रदेश के मानचित्र में अपने जिले का नाम देखिए। प्रशासन में जिला बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। राज्य की उन्नति जिलों के अच्छे प्रशासन पर निर्भर करती है।

हमारे संविधान के अनुसार चुनी हुई सरकारें 5 वर्ष के लिए होती हैं एवं विभिन्न स्तरों पर उनकी सहायता के लिए सरकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। यह जनप्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं चुने जाते हैं बल्कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित किए जाते हैं। ये 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं।

एक जिलाधिकारी की दिनचर्या

आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी महेश कुमार का दफ्तर आजमगढ़ शहर में है। वह रोज दस बजे अपने दफ्तर पहुँचते हैं।

आज साढ़े ग्यारह बजे जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक है। यह बैठक जिलाधिकारी महेश कुमार के दफ्तर में है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि- सभी

विभागों के अधिकारी आए हैं। महेश कुमार ने एक-एक करके हर विभागाध्यक्ष से पिछले महीने किए गए कामों की जानकारी ली। जो काम नहीं हो पाए थे, उनमें आ रही समस्याओं के बारे में पूछा एवं निर्देश दिए। बैठक दो बजे तक चलती रही।

बैठक के बाद महेश कुमार ने फाइलें देखीं। उनकी मेज पर फाइलों का ढेर था। वह एक-एक करके फाइल पढ़ते जा रहे थे। उस पर अपने आदेश भी लिखते जा रहे थे।

एक फाइल में मनकापुर ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध शिकायत थी। महेश कुमार ने फाइल पढ़ी। फिर फोन उठाकर उन्होंने अपने बाबू से कहा, ”जरा जिला पंचायत अधिकारी से बात कराइए।“

अधिकारी की बात सुनकर महेश कुमार ने कहा ”अच्छा ! पंचायत इंस्पेक्टर ने जाँच कर ली है? उसकी रिपोर्ट अभी मुझ तक पहुँची नहीं। जरा भेज दीजिए ताकि मैं कार्यवाही कर सकूँ। एक दो बातें और हुईं।“ फिर महेश कुमार ने फोन रख दिया।

फाइल देखते-देखते तीन बज गए थे। रोज तीन बजे से साढ़े चार बजे तक महेश कुमार जिले के लोगों से मिलते हैं। आजमगढ़ जिले की सभी तहसीलों के लोग अपनी समस्याएँ लेकर जिलाधीश से मिलने आते हैं।

मेसदीहा तहसील का एक छोटा किसान आया है। उसकी जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया था। इस किसान ने एक साल पहले तहसीलदार की कचहरी में अर्जी दी थी। वह कई बार तहसीलदार से मिल भी चुका था। पर अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। महेश कुमार ने उससे अर्जी की एक प्रति लेकर रख ली और कहा कि वह खुद इस मामले में तहसीलदार से बात करेंगे।

इतने में एक और किसान वहाँ आया। ”भैया जी, मैं अपने खेत पर कुआँ खुदवाना चाहता हूँ। कुएँ के लिए बैंक से सरकारी लोन भी चाहिए। मैं लोन के लिए अर्जी दे रहा हूँ। मेरे पास केवल तीन एकड़ जमीन है और मैं अनुसूचित जाति का हूँ। मुझे कर्जे में छूट के लिए खसरा, खतौनी और यह प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन लेखपाल ये प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। आप मुझे प्रमाणपत्र दे दें।

तहसील पिपलौदा के कुछ किसान आए थे। मनकापुर में बने बाँध की नहरें पास के गाँवों तक पहुँच गई थीं, पर उनके गाँव तक नहर का पानी नहीं आता था फिर भी सिंचाई कर लग रहा था। वे चाहते थे कि उनके गाँव में भी नहर साफ कराई जाए ताकि उन्हें भी सिंचाई का फायदा मिल पाए।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम-कानून और योजनाओं को जिलाधीश, तहसीलदार और लेखपाल जिले में लागू करते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। वे स्वयं कोई नियम-कानून या नीति नहीं बदल सकते हैं, न ही कोई नया कानून या योजना बना सकते हैं।

अगली सुबह पाँच बजे महेश कुमार के घर पर फोन आया। कहीं पर रुई के कारखाने में रखे कपास के ढेर में आग लग गई थी। जलती हुई कपास उड़कर आसपास भी जा रही थी। अभी भी आग को रोकने की कोशिश चल रही थी। महेश कुमार ने तय किया कि वह थोड़ी देर में उस स्थान के लिए रवाना होंगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन से साथ चलने को कहा। महेश कुमार ने जले हुए घरों के मालिकों को बीस-बीस हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। आग लगने की जाँच करवाने का भी वादा किया। महेश कुमार दोनों घायल मजदूरों से भी मिले। उन्होंने उन दोनों को दस-दस हजार रुपये देने की घोषणा की।

वापस आजमगढ़ लौटते समय महेश कुमार दो-तीन गाँवों में रुके। वहाँ के किसानों और पंचों से उनकी समस्याओं पर चर्चा भी की। तहसील से निकलकर मनकापुर में सरपंच के खिलाफ शिकायत के बारे में पता किया। शाम को अंधेरा होने के बाद ही वह आजमगढ़ वापस पहुँच पाए।

जिले का शासन

जिलाधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। जनता के हित के सभी कार्यों को जिलाधिकारी ही करता है। वह दौरों तथा बैठक के द्वारा जनता से सम्पर्क करता है। जिलाधिकारी समय-समय पर तहसील दिवस व अन्य बैठकों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी करता है।

जो आपने पढ़ा, उसके आधार पर बताइए कि जिलाधिकारी क्या-क्या काम करता है ? क्या

जिलाधिकारी कोई नया कानून बना सकता है ?

आपके जिले का जिलाधिकारी कौन है ?

जिला प्रशासन के कार्य

1.जिले में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना।

2.भूमि व्यवस्था जैसे- भूमि माप, खसरा, खतौनी का रख-रखाव व लगान की वसूली करना।

3.नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना।

हम सभी के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा आवश्यक है। सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग, अधिकारी व कर्मचारी होते हैं।

आइए जिले के कुछ अन्य अधिकारियों व उनके कार्यों को जानें-

जिला प्रशासन के अधिकारी व उनके कार्य

ये अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं। पुलिस, लोगों के जान-माल व अधिकारों की सुरक्षा करती है। कानून तोड़ने वालों पर पुलिस मुकदमा चलाती है तथा न्यायालय द्वारा उसे सजा

मिलती है। सजा मिलने पर अपराधियों को जेल भी जाना पड़ता है। जिले की जेलों में अपराधियों को सुधार कर अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। जेल के मुख्य अधिकारी जेलर व डिप्टी जेलर होते हैं।

आपके क्षेत्र में कौन सा पुलिस थाना है ? नाम लिखिए।

पाठ 6

DN592N

यातायात एवं सुरक्षा

आज कविता को स्कूल पहुँचने में बहुत देर हो गई। वह हाँफती हुई कक्षा में पहुँची। अध्यापक ने पूछा, अरे ! कविता आज तुम्हें स्कूल आने में देर कैसे हो गई ? कविता ने बताया कि आज सड़क पर बहुत जाम लगा हुआ था। चारों ओर से रिक्शा, गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, बस, कार इत्यादि इकट्ठे हो गए थे। मैं बहुत मुश्किल से उस भीड़ से निकल सकी। थोड़ा आगे आने पर पता चला कि दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं थीं जिसमें काफी लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं बहुत घबरा गई थी।

मारुति खंभे से टकराई, दो घायल

ट्रक से कुचल कर दो युवकों की मौत

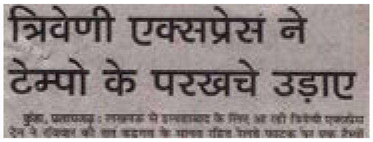
त्रिवेणी एक्सप्रेस ने टेम्पो के परखचे उड़ाए

झूंसी और करछना
हादसे, चार की मौ

• ट्रैक्टर ट्राली पलटी
मोटरसाइकिल पुलिया
से नीचे गिरी

राजधानी एक्स. से टकराई स्कार्पियो

मिनी-बस पलटी
चार घायल

बच्चों ! आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ ? लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण दिनों दिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है। हम सभी प्रतिदिन अखबार , रेडियो, टी0वी0 के माध्यम से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ते, सुनते और देखते हैं। कभी-कभी यह घटनाएँ हमारी आँखों के सामने भी होती हैं। जैसे-आज कविता ने देखा।

दुर्घटना जो आपके साथ भी हो सकती है!

रमेश अपने मित्र के साथ किसी काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क दुर्घटना हुई थी। उन्होंने अपने मित्र से कहा, हमें घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। उनके मित्र ने जवाब दिया कि इतने लोग हैं यहाँ, कोई न कोई मदद कर ही देगा। यदि हम लोग समय पर ऑफिस नहीं पहुँचे, तो हमारा काम आज नहीं हो पाएगा। अभी वे ऑफिस पहुँचे ही थे कि मित्र के मोबाइल पर घर से फोन आया। पता चला कि उनके पिता का एक्सीडेंट हुआ है, और उन्हें बहुत चोट आयी है। जब उन्होंने यह पूछा कि एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ तो जवाब सुनकर उन दोनों का चेहरा दर्द और पश्चाताप से भर उठा। उन्होंने भीड़ से घिरे जिस जरूरतमंद की मदद नहीं की थी, वे उनके ही पिता थे।

क्या आप भी सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान व्यक्ति की मदद सिर्फ इस डर से नहीं करते कि पुलिस पूछताछ करेगी ?

- क्या आपने कभी सोचा है कि सही समय पर आपकी मदद किसी की जान बचा सकती है ?
- बिना किसी भय के हमें घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस सिर्फ घटना से जुड़ी सामान्य जानकारी चाहती है।
- मोटर वेहिकल एक्ट के सेक्शन 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह बिना देर किए घायल का इलाज करे। ऐसा न करने पर तीन महीने की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

ज्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाही व जल्दबाजी के कारण होती हैं। कभी-कभी एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। यदि हम सावधान रहें तो इससे बचा जा सकता है। इसके लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करके न केवल हम सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरे लोगों का भी जीवन बचा सकते हैं।

आइए, यातायात के कुछ नियमों को जानें-

- सड़क पर सदैव अपनी बायीं ओर से चलें।
- सड़क पार करने के लिए सुरक्षित स्थान चुनें।
- सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज पर ध्यान दें।
- यदि फुटपाथ हो तो उसका प्रयोग करें और यदि न हो तो अपनी बायीं तरफ सड़क के किनारे से चलें।
- सड़क पार करते समय पहले अपनी दायीं ओर देखें फिर बायीं ओर देखें और पुनः दायीं ओर देखें, ट्रैफिक नहीं आ रहा हो तो जल्दी से सड़क पार करें।
- महानगरों के चौराहों पर टैªफिक सिग्नल (लाल/हरा) देखकर चौराहा पार करें।
- यदि सामने लाल बत्ती जल रही हो, तो चौराहा कदापि न पार करें।
- रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग अवश्य करें।
- साइकिल या मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को मोड़ पर हाथ से इशारा करके मुड़ना चाहिए।

पैदल, साइकिल, रिक्शा, ताँगा, मोटर साइकिल, मोपेड, ऑटो रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बस आदि से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कक्षा में

चर्चा करें।

वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली बढ़ोत्तरी के साथ-साथ सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। सड़क पर चलने वाले बस यात्री और मोटर साइकिल या स्कूटर चालक भी इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जब बस यात्री चलती बस से उतरने का प्रयास करते हैं, तो वे मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार वे स्वयं खतरा मोल लेते हैं और कभी- कभी उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। बस यात्रा करते समय नीचे दिए गए सुझावों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है-

- बस के पायदान या बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा न करें।
- चलती बस से न उतरें और न चढ़ें। बस रुक जाने पर ही बस में चढ़ें या उतरें। चलती बस में पीछे की ओर मुँह करके न उतरें।
- बस की खिड़की से बाहर न तो झाँके और न ही शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालें।
- चलती बस में ड्राइवर से बातें न करें।

आइए जानें-सड़क पर वाहन चलाते समय हम क्या करें, क्या न करें-

अतः यातायात के नियमों का पालन न करने से कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है। कभी-कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आजीवन विकलांग हो जाता है और उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी परिवार को उठानी पड़ती है।

सड़क पर चलने वाले वाहनों के शोर-शराबे (ध्वनि प्रदूषण) एवं निष्कासित गैस, धुएं आदि से होने वाले प्रदूषण पर कक्षा में चर्चा करें।

ऐसा करें

- मोटर साइकिल/स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।
- कार चालक एवं इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य बाँधें।
- एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस जैसे- आपात ड्यूटी पर तैनात वाहनों को रास्ता दें।
- खतरे के संकेतों एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें।
- वाहन के ब्रेक व इंजन हमेशा चेक कराते रहें क्योंकि इनकी खराबी दुर्घटना का कारण बनती है।
- वाहन चालकों को समय-समय पर नेत्र जाँच करानी चाहिए।

ऐसा न करें

- दुपहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
- वाहन तेज गति से न चलाएं।
- नशीली दवाओं का सेवन करके या शराब (अल्कोहल) पीकर वाहन न चलाएं।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बातें न करें।
- असावधानी, थकान, गुस्सा, मानसिक तनाव में वाहन न चलाएं।
- वाहन चलाते समय संगीत न सुनें।

रेल सुरक्षा

रेल एक शक्तिशाली तथा तेज गति वाला यातायात का साधन है। इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र ही पहुँचा जा सकता है। रेलगाड़ी से यात्रा करने में बहुत आनन्द आता है परन्तु यात्रा करते समय हमें कुछ सावधानियाँ अवश्य रखनी चाहिए-

- टिकट लेकर ही यात्रा करें।
- चलती रेल पर चढ़ने और उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रयास से व्यक्ति विकलांग हो सकता है तथा मृत्यु भी हो सकती है।
- रेल के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए।
- रेल की बोगियों की छत पर बैठकर यात्रा न करें।
- रेल की खिड़कियों से अपने शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें क्योंकि बाहर की किसी चीज से टकराकर चोट लग सकती है।
- चलती ट्रेन की जंजीर खींच कर या हौज पाइप काट कर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इससे यात्रियों को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने में देर हो सकती है।
- रेल में यात्रा करते समय कभी भी किसी अपरिचित द्वारा दिया गया पदार्थ न खाना चाहिए, न पीना और न ही सूँघना चाहिए। हो सकता है कि उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया हो जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाए और उसका सामान लूट लिया जाए।
- यात्रा करते समय अपने सामान तथा बच्चों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके आवश्यक और कम सामान लेकर यात्रा करनी चाहिए। रात्रि में सामान को जंजीर से बाँध कर सुरक्षित रखा जा सकता है।
- बोगी या प्लेटफार्म पर पड़ी किसी लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए, इस प्रकार की पड़ी लावारिस वस्तु की सूचना रेलवे सुरक्षा बल को देनी चाहिए।

रेल में कभी भी कोई ज्वलनशील पदार्थ (जिसमें आग लगने की प्रबल सम्भावना हो) जैसे स्टोव या गैस का सिलेन्डर लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए।

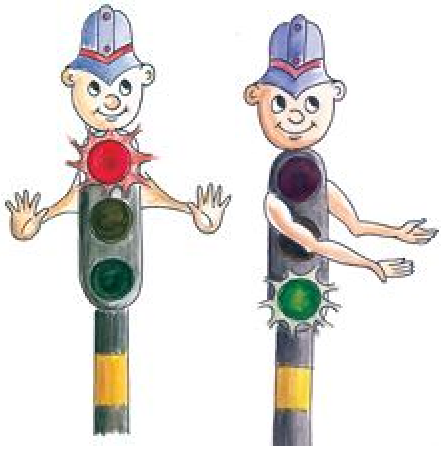

बच्चों ! आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ ? लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण दिनों दिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है। हम सभी प्रतिदिन अखबार , रेडियो, टी0वी0 के माध्यम से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ते, सुनते और देखते हैं। कभी-कभी यह घटनाएँ हमारी आँखों के सामने भी होती हैं। जैसे- आज कविता ने देखा।

दुर्घटना जो आपके साथ भी हो सकती है!

रमेश अपने मित्र के साथ किसी काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क दुर्घटना हुई थी। उन्होंने अपने मित्र से कहा, हमें घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। उनके मित्र ने जवाब दिया कि इतने लोग हैं यहाँ, कोई न कोई मदद कर ही देगा। यदि हम लोग समय पर ऑफिस नहीं पहुँचे, तो हमारा काम आज नहीं हो पाएगा। अभी वे ऑफिस पहुँचे ही थे कि मित्र के मोबाइल पर घर से फोन आया। पता चला कि उनके पिता का एक्सीडेंट हुआ है, और उन्हें बहुत चोट आयी है। जब उन्होंने यह पूछा कि एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ तो जवाब सुनकर उन दोनों का चेहरा दर्द और पश्चाताप से भर उठा। उन्होंने भीड़ से घिरे जिस जरूरतमंद की मदद नहीं की थी, वे उनके ही पिता थे।

क्या आप भी सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान व्यक्ति की मदद सिर्फ इस डर से नहीं करते कि पुलिस पूछताछ करेगी ?

क्या आपने कभी सोचा है कि सही समय पर आपकी मदद किसी की जान बचा सकती है ?

बिना किसी भय के हमें घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस सिर्फ घटना से जुड़ी सामान्य जानकारी चाहती है।

मोटर वेहिकल एक्ट के सेक्शन 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह बिना देर किए घायल का इलाज करे। ऐसा न करने पर तीन महीने की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

ज्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाही व जल्दबाजी के कारण होती हैं। कभी-कभी एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। यदि हम सावधान रहें तो इससे बचा जा सकता है। इसके लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करके न केवल हम सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरे लोगों का भी जीवन बचा सकते हैं।

आइए, यातायात के कुछ नियमों को जानें-

सड़क पर सदैव अपनी बायीं ओर से चलें।

सड़क पार करने के लिए सुरक्षित स्थान चुनें।

सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज पर ध्यान दें।

यदि फुटपाथ हो तो उसका प्रयोग करें और यदि न हो तो अपनी बायीं तरफ सड़क के किनारे से चलें।

सड़क पार करते समय पहले अपनी दायीं ओर देखें फिर बायीं ओर देखें और पुनः दायीं ओर देखें, ट्रैफिक नहीं आ रहा हो तो जल्दी से सड़क पार करें।

महानगरों के चौराहों पर टैªफिक सिग्नल (लाल/हरा) देखकर चौराहा पार करें।

यदि सामने लाल बत्ती जल रही हो, तो चौराहा कदापि न पार करें।

रात में वाहन चलाते समय संकेतक (प्दकपबंजवत) का प्रयोग अवश्य करें।

साइकिल या मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को मोड़ पर हाथ से इशारा करके मुड़ना चाहिए।

पैदल, साइकिल, रिक्शा, ताँगा, मोटर साइकिल, मोपेड, ऑटो रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बस आदि से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कक्षा में चर्चा करें।

वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली बढ़ोत्तरी के साथ-साथ सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। सड़क पर चलने वाले बस यात्री और मोटर

साइकिल या स्कूटर चालक भी इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जब बस यात्री चलती बस से उतरने का प्रयास करते हैं, तो वे मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार वे स्वयं खतरा मोल लेते हैं और कभी- कभी उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। बस यात्रा करते समय नीचे दिए गए सुझावों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है-

- बस के पायदान या बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा न करें।

- चलती बस से न उतरें और न चढ़ें। बस रुक जाने पर ही बस में चढ़ें या उतरें। चलती बस में पीछे की ओर मुँह करके न उतरें।

- बस की खिड़की से बाहर न तो झाँके और न ही शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालें।

- चलती बस में ड्राइवर से बातें न करें।

आइए जानें-सड़क पर वाहन चलाते समय हम क्या करें, क्या न करें-

अतः यातायात के नियमों का पालन न करने से कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है। कभी-कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आजीवन विकलांग हो जाता है और उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी परिवार को उठानी पड़ती है।

सड़क पर चलने वाले वाहनों के शोर-शराबे (ध्वनि प्रदूषण) एवं निष्कासित गैस, धुएं आदि से होने वाले प्रदूषण पर कक्षा में चर्चा करें।

ऐसा करें

- मोटर साइकिल/स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।

- कार चालक एवं इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य बाँधें।

- एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस जैसे- आपात ड्यूटी पर तैनात वाहनों को रास्ता दें।

- खतरे के संकेतों एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें।

- वाहन के ब्रेक व इंजन हमेशा चेक कराते रहें क्योंकि इनकी खराबी दुर्घटना का कारण बनती है।

- वाहन चालकों को समय-समय पर नेत्र जाँच करानी चाहिए।

ऐसा न करें

- दुपहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
- वाहन तेज गति से न चलाएं।
- नशीली दवाओं का सेवन करके या शराब (अल्कोहल) पीकर वाहन न चलाएं।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बातें न करें।
- असावधानी, थकान, गुस्सा, मानसिक तनाव में वाहन न चलाएं।
- वाहन चलाते समय संीत न सुनें।

रेल सुरक्षा

रेल एक शक्तिशाली तथा तेज गति वाला यातायात का साधन है। इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र ही पहुँचा जा सकता है। रेलगाड़ी से यात्रा करने में बहुत आनन्द आता है परन्तु यात्रा करते समय हमें कुछ सावधानियाँ अवश्य रखनी चाहिए-

- टिकट लेकर ही यात्रा करें।
- चलती रेल पर चढ़ने और उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रयास से व्यक्ति विकलांग हो सकता है तथा मृत्यु भी हो सकती है।
- रेल के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए।
- रेल की बोगियों की छत पर बैठकर यात्रा न करें।
- रेल की खिड़कियों से अपने शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें क्योंकि बाहर की किसी चीज से टकराकर चोट लग सकती है।
- चलती ट्रेन की जंजीर खींच कर या हौज पाइप काट कर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इससे यात्रियों को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने में देर हो सकती है।
- रेल में यात्रा करते समय कभी भी किसी अपरिचित द्वारा दिया गया पदार्थ न खाना चाहिए, न पीना और न ही सूँघना चाहिए। हो सकता है कि उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया हो जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाए और उसका सामान लूट लिया जाए।
- यात्रा करते समय अपने सामान तथा बच्चों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके आवश्यक और कम सामान लेकर यात्रा करनी चाहिए। रात्रि में सामान को जंजीर से बाँध कर सुरक्षित रखा जा सकता है।

बोगी या प्लेटफार्म पर पड़ी किसी लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए, इस प्रकार की पड़ी लावारिस वस्तु की सूचना रेलवे सुरक्षा बल को देनी चाहिए।

रेल में कभी भी कोई ज्वलनशील पदार्थ (जिसमें आग लगने की प्रबल सम्भावना हो) जैसे स्टोव या गैस का सिलेन्डर लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए।

स्टोव गैस सिलेण्डर केरोसिन/पेट्रोल

बच्चों, रेल की सम्पत्ति आपकी भी तो है। अगर उसको नुकसान पहुँचाया तो आपका भी तो नुकसान होगा। इसलिये बोगी के अन्दर प्रयुक्त किसी भी सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, नल तथा सीट इत्यादि को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।

आइए, जापान की एक घटना के बारे में जानें-

एक विदेशी पर्यटक ने अपनी जापान यात्रा के संस्मरण सुनाते हुए कहा है कि जब वह जापान में एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो उसने अच्छी वेशभूषा धारण किए हुए एक जापानी को टेªन की एक फटी हुई सीट सिलते हुए देखा। विदेशी पर्यटक ने उस जापानी से पूछा, ”ट्रेन की सीट की सिलाई का काम आप क्यों कर रहे हैं? यह तो रेलवे विभाग का दायित्व है।“ प्रश्न के उत्तर में जापानी ने सहज रूप में कहा, ”यह सीट और ट्रेन जापान की है तथा जापान मेरा देश है। इस तरह यह सीट भी तो मेरी हुई। इस समय संयोगवश सुई-धागा मेरे पास था, सो मैंने अपनी सीट की सिलाई कर ली तो इसमें बुराई क्या है?“

इसके अतिरिक्त यदि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं और रेल गुजरने वाले मार्ग के पास हैं तो ध्यान रखें कि-

रेलगाड़ी एक सेकेण्ड में 25 मीटर चलती है जबकि आप एक सेकेण्ड में अधिक से अधिक 2.8 मीटर चल सकते हैं। इस प्रकार आपको रेलवे क्रासिंग को पार करने में 6-7

सेकेण्ड लग सकते हैं जबकि इतने ही समय में रेलगाड़ी 150-175 मीटर तक चलकर रेलवे फाटक पर पहुँच सकती है तथा आपके देखते ही देखते गम्भीर दुर्घटना घट सकती है।

रेलवे लाइन पार करने से पहले इन संकेतों पर ध्यान दें

गति अवरोधक

बिना चौकीदार वाला फाटक

चौकीदार वाला फाटक

□रेलवे लाइन वहीं से पार करना चाहिए जहाँ पर फाटक बना होता है।

□यदि फाटक बन्द हो तो स्वयं लाइन पार करने या वाहन पार कराने का प्रयास न करें।

□मानवरहित/बिना गेट की क्रॉसिंग हो तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। लाइन पार करते समय अपने दोनों ओर अवश्य देख लें कि टे्रन आ तो नहीं रही है।

□रुकी हुई टे्रन के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश न करें।

□रेल पटरियों के साथ बिछे तारों को न छुएं, उसमें विद्युत करेन्ट हो सकता है।

□एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म परजाने के लिए ओवरब्रिज का प्रयोग करना चाहिए।

□हमें प्लेटफार्म की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए।

बच्चों, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो राष्ट्र की हानि के साथ-साथ स्वयं के कष्ट से भी बचे रहेंगे।

स्वयं जानिए कि आप सुरक्षा के प्रति कितना सजग हैं, आप जो करते हैं उस पर सही (□) का चिह्न लगाइए-

आप क्या करते हैं ?।ठब्

हमेशाकभी-कभीकभी नहीं

1.साइकिल पर दो या दो से अधिक लोग बैठकर चलते हैं।

2.साइकिल की हैंडिल छोड़कर कलाबाजी करते हुए चलते हैं।

3.भारी व बड़े वाहनों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं।

4.बड़े वाहनों को पीछे से पकड़कर साथ चलने की कोशिश करते हैं।

5.सड़क पर मुड़ने से पहले हाथ से इशारा करते हैं।

6.सड़क पार करते समय ध्यान से दाएँ, बाएँ फिर दाएँ देखते हैं।

7.सड़क पर बाएँ से चलते हैं।

8.यदि जेब्रा क्रासिंग है तो पैदल सड़क पार करने के लिए केवल

इसी का उपयोग करते हैं।

9.सड़क पर क्रिकेट खेलते हैं।

10.सड़क के बीच खड़े होकर दोस्तों से बात करते हैं।

11.चलती हुई बस पर चढ़ते और उतरते हैं।

12.बस के पायदान या पीछे बनी सीढ़ी पर लटककर यात्रा करते हैं।

13.रेल-फाटक बन्द होने पर भी रेलवे लाइन पार करने का प्रयास करते हैं।

14.चलती बस से सिर व हाथ बाहर निकालते हैं।

15.जब आप रात में बाहर निकलते हैं तो हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं।

16.दिन के समय गहरे/चटक रंग के कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं।

उत्तर तालिका से अपने उत्तर का मिलान करें और यह जानें कि आपका उत्तर हमेशा क्या होना चाहिए

१. C	२. C	३. C	४. C	५. A	६. A	७. A	८. A
९. C	१०. C	११. C	१२. C	१३. C	१४. C	१५. A	१६. A

इन्हें भी जानें–

यातायात प्राधिकारी जिन स्थानों को उचित समझते हैं उन स्थानों पर यातायात संकेतक (Traffic signal) लगाते हैं। जिनके पालन से हम सड़क पर सुरक्षित चल सकते हैं। आइए कुछ चिह्न और संकेतों को देखें व समझें–

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए –
   (क) सड़क दुर्घटनाएँ क्यों होती हैं ?
   (ख) सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता के क्या कारण हैं ?
   (ग) सड़क दुर्घटना से बचाव के पाँच उपाय लिखिए।
   (घ) ध्वनि प्रदूषण का कारण लिखिए।
   (ङ) रेल से यात्रा करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ?
   (च) सड़क शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं ?
2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –
   (क) सड़क पर सदैव __________ से चलें।
   (ख) सड़क दुर्घटना से बचने के लिए __________ का पालन करें।
   (ग) वाहनों से निष्कासित __________ से वायु प्रदूषण होता है।
   (घ) चलती बस में __________ से बातें न करें।
   (ङ) चलती ट्रेन की __________ खींच कर या __________ काट कर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए।
3. सत्य/असत्य कथन पर निशान लगाइए –
   (क) बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा न करें। (सत्य/असत्य)
   (ख) सड़क पर अपने दाहिने ओर से चलना चाहिए। (सत्य/असत्य)
   (ग) सड़क पार करते समय सुरक्षित स्थान चुनें। (सत्य/असत्य)
   (घ) स्कूटर/मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति से अधिक नहीं बैठने चाहिए। (सत्य/असत्य)
   (ङ) सड़क पर साइकिल मौज-मस्ती के साथ चलाना चाहिए। (सत्य/असत्य)
   (च) बोगी और प्लेटफार्म पर पड़ी लावारिस वस्तु को छूना चाहिए। (सत्य/असत्य)
   (छ) रेल फाटक बन्द होने पर लाइन पार नहीं करनी चाहिए। (सत्य/असत्य)

प्रोजेक्ट वर्क

- सड़क पर वाहन चलाते समय **'क्या करें'** और **'क्या न करें'** पर एक चार्ट बनाएं तथा अपनी कक्षा में उसे प्रदर्शित करें।
- सड़क यातायात चिह्नों के चित्र बनाकर उनकी उपयोगिता के बारे में लिखिए।